UPCH040018272019

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, चित्रकूट

परिवाद संख्या-141/2019

आनन्द सागर खरे बनाम शिवकुमार

धारा 138 एन.आई.एक्ट

थाना -कर्वी , जिला चित्रकूट।

14.05.2022

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

2. परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 257 दं०प्र०सं० मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमा में वादी मुकदमा है तथा उसके व अभियुक्त शिवकुमार के मध्य आपसी सुलह रूपया 1,24000/-(एक लाख चौबीस हजार रूपया) में हो गयी है। आपसी सुलह स्वस्थ्यचित से बिना किसी दबाव के अच्छे मन से खूब सोच समझकर किया है । अब उसे अभियुक्त से कुछ भी पाना शेष नहीं और न ही किसी प्रकार का कोई विवाद शेष है। प्रार्थिया मुकदमा लड़ना नहीं चाहता और अपना मुकदमा समाप्त करना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 138 एन आई. एक्ट में संचालित है। अभी परिवाद में अंतिम आदेश होना शेष है, इसके पूर्व परिवादी द्वारा प्रार्थना-पत्र मय शपथ अन्तर्गत धारा 257 दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर परिवाद की कार्यवाही समाप्त की जाने की याचना गयी है। प्रार्थना-पत्र में यह भी उल्लेखित है कि परिवादी द्वारा विपक्षी से सम्पूर्ण दावा धनराशि प्राप्त कर ली है व अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है । शपथपत्र परिवादी एवं अभियुक्त शिवकुमार की ओर से दाखिल है जिसमें उक्त कथनों की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही सुलहनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

5. परिवादी को परिवाद अन्तर्गत धारा 257 दं०प्र०सं० वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।तदनुसार परिवाद वापस लिये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त **शिवकुमार** को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०
चित्रकूट

Digitally signed by Praveen Kumar
Date: 2022.05.14 12:38:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court